

Office
Circular
12/8/13

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3315/21-ब (एक)/2013,

भोपाल, दिनांक 07.08/08/2013

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर ।

विषय :- एक ही निवास स्थल एवं कर्तब्य स्थल पर कार्यरत दो न्यायिक अधिकारीगण को पृथक-पृथक वाहन हेतु पेट्रोल प्रदान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु ।

संदर्भ :- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का ज्ञापन क्र. सी/6283/दो-15-14/90 जबलपुर, दिनांक 04.08.2012.

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उच्च न्यायालय के संदर्भित ज्ञापन द्वारा वांछित मार्गदर्शन निम्नानुसार है :-

“यदि प्रति एवं पत्नी दोनों न्यायिक अधिकारी हैं और उनमें से प्रत्येक के पास उसके स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन है, मले ही दोनों का निवास स्थान एक हो और कर्तब्य स्थल भी एक ही हो, तो उस स्थिति में भी दोनों न्यायिक अधिकारीगण को पृथक-पृथक वाहन का पेट्रोल मत्ता विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2006 के पैरा-5(3) (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी”।

सही0/-

(ए. के. पालीवाल) अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर

पृ0 क्रमांक.....ई/4054...../

जबलपुर, दिनांक.....11 सितम्बर, 2013.

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3315/21-ब (एक) 2013, भोपाल दिनांक 7/8.8.2013 की प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0 प्र0, इंदौर/ग्वालियर,
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, Damoh (म0 प्र0)
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, (म0 प्र0)
4. डायरेक्टर, जे0ओ0टी0आर0आई0, उच्च न्यायालय म0 प्र0, जबलपुर,
5. जिला न्यायाधीश (सतर्कता) जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर,

Sh. Saha
(एस0 के0 साहा)
रजिस्ट्रार (ई)